न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 149 सन् 2017

पंजीयन दिनांक 20.07.2017

वरदा पिता जयचंद जाति जाट निवासी नांगो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

विरूद्ध

1. सरकार जरिये जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़
2. सरकार जरिये तहसीलदार गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
3. संगम (इण्डिया) लिमिटेड जरिये कार्यकारी निदेशक विनोद कुमार पिता यश करण जाति सोडाणी (महाजन) निवासी शास्त्रीनगर भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा

–रेस्पोडेन्टगण

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार
प्रकरण संख्या 35/2016 वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2017

उपस्थित– 1. दिनेश चंद दायमा– अधिवक्ता अपीलान्ट
2. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं.1 व 2
3. श्री चंदनमल जणवा–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट–3

निर्णय **दिनांक 14.12.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट वादी द्वारा रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात मोजा नांगो का खेडा तहसील गंगरार की हाल आराजी नम्बर 293 रकबा 1.54 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 296 रकबा 0.29 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.83 हैक्टेयर दर्ज रेकार्ड है जो भू–प्रबन्ध कार्यवाही से पूर्व साबिक आराजी नम्बर 192/1 रकबा 6 बीघा आराजी नम्बर 495/7 रकबा 4 बीघा कुलिया 10 बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड रही। साबिक रकबा 10 बीघा के दशमलव प्रणाली से रकबा 2.16 हैक्टेयर बनता है। जबकि अपीलान्ट वादी का रकबा 1.83 हैक्टेयर ही दर्ज किया गया। अपीलान्ट वादी के खाते मे 0.33 हैक्टेयर रकबा कम दर्ज कर दिया। अपीलान्ट वादी का रकबा 0.33 हैक्टेयर कम करते हुए अपीलान्ट वादी की आराजी नम्बर 293 से जुड़वा नवीन आराजी नम्बर 276 मे बढाते हुए आराजी नम्बर 276 के नये आराजी नम्बर 276/3 के बढ्ते हुए नम्बर 276/699 रकबा 1.00 हैक्टेयर बिलानाम भूमि का लाला पिता केला के नाम पर आंवटन कर दिया। आंवटी ने खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये व उक्त आराजी को मनोहर सिंह पिता गोविन्दसिंह राजपूत निवासी सोनियाना को विक्रय कर दिया। तत्पश्चात् मनोहरसिंह ने वाद प्रस्तुति के पश्चात् आराजी नम्बर 286/3 बढ्ते नम्बर 276/699 रकेबा 1.00 हैक्टेयर को व्यवसायिक प्रयोजनार्थ रुपान्तरण कराकर रेस्पोडेन्ट सं. 3 प्रतिवादी को विक्रय कर दी। अपीलान्ट वादी द्वारा प्रस्तुत इन्द्राज दुरस्ती खातेदारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

घोषणा के वादपत्र को प्रारम्भिक अवस्था मे ही रेस्पोडेन्ट सं. 3 प्रतिवादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी स्वीकार कर अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नही होना मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित कर दी।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट वादी ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की।

इस न्यायालय मे अपीलान्ट वादी की ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट वादी ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट वादी ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध मोजा नांगो का खेडा तहसील गंगरार मे अपने खातेदारी मे साबिक सेटलमेन्ट मे दर्ज आराजी नम्बर 192/1 रकबा 6 बीघा 495/7 रकबा 4 बीघा कुलिया 10 बीघा भूमि के सम्बन्ध मे वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजीयात का भू-प्रबन्ध के पूर्व 10 बीघा रकबा था जिसका नवीन दशमलव प्रणाली से 2.16 हैक्टेयर रकबा बनता है। फिर भी नवीन भू-प्रबन्ध मे अपीलान्ट वादी का रकबा 2.16 हैक्टेयर के बजाय 1.83 हैक्टेयर कायम कर 0.33 हैक्टेयर कम करते हुए पडौस की बिलानाम भूमि के नवीन आराजी नम्बर 276/3 के बद्धते नम्बर 276/699 रकबा 1.00 हैक्टेयर कायम कर बिलानाम भूमि मे मिला दिया व उक्त आराजी को आवंटी लाला के नाम आंवटित कर दी। आंवटी लाला को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् मनोहरसिंह पिता गोविन्दसिंह राजपूत निवासी सोनियाना को विक्रय कर दी व क्रेता मनोहरसिंह ने आराजी नम्बर 276/3 बद्धते नम्बर 276/699 को व्यवसायिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करा ली। उक्त आराजीयात राजस्व रेकार्ड मे कृषि भूमि दर्ज नही होने के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 3 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र जवाब हेतु नियत था। उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प उण्डवा मे नियत की जाकर बिना किसी लिखित राजीनामे के अपरिपक्व पत्रावली का राजस्व लोक अदालत की भावना के विपरीत अपीलान्ट वादी का वादपत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो अवैधानिक होने से अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 3 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अपीलान्ट वादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे मोजा नांगो का खेडा तहसील गंगरार की नवीन आराजी नम्बर 276/699 रकबा 0.1 हैक्टेयर मे 0.33 हैक्टेयर कृषि भूमि घोषणा इन्द्राज दुरस्ती का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया। विवादित कृषि आराजीयात राजस्व रेकार्ड मे कृषि भूमि नही होकर औद्योगिक रूपान्तरण हो चुका है। औद्योगिक रूपान्तरित भूमि का वादपत्र राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नही है। यह प्रारम्भिक आपत्ति थी। जिसका निस्तारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

बिना साक्ष्य के किया जा सकता है। जिसके लिये रेस्पोडेन्ट सं. 3 प्रतिवादी की ओर से आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी का आवेदन प्रस्तुत किया उक्त आवेदन सुनवाई मे विचाराधीन था। इसी दरम्यान राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट उण्डवा मे नियत की गई जिसमे उभयपक्षो की उपस्थिति दर्ज कर उक्त प्रार्थना पत्र उभयपक्षो को सुना जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत वादपत्र राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का नही होना मानते हुए प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 3 स्वीकार किया जाकर वादपत्र को निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत होने से अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादी ने साबिक सेटलमेन्ट मे अपने खातेदारी मे दर्ज रकबा 10 बीघा जिसका नवीन बन्दोबस्ती नाप से रकबा 2.16 हैक्टेयर बनता है। फिर भी नवीन भू-प्रबन्ध मे भू-प्रबन्ध अधिकारियो ने नवीन आराजी नम्बर 293 रकबा 1.54 हैक्टेयर आराजी नम्बर 296 रकबा 0.29 हैक्टेयर कुलिया रकबा 1.83 हैक्टेयर कायम किया है। जबकि अपीलान्ट वादी साबिक रकबे के अनुसार 2.16 हैक्टेयर रकबा दुरस्त कराने का अधिकारी था। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादी ने अपनी खातेदारी से कमी रकबा 0.3360 हैक्टेयर नवीन आराजी नम्बर 276/699 रकबा 1.00 हैक्टेयर आराजी नम्बर 294 रकबा 0.10 हैक्टेयर मे 0.33 हैक्टेयर बिलानाम दर्ज कर बिलानाम भूमि का रकबा बेशी होना बताते हुए वादपत्र प्रस्तुत किया। खसरा नम्बर 276/699 रकबा 1.00 हैक्टेयर लाला सुथार को आंवटित होकर लाला सुथार ने उक्त आराजीयात को मनोहरसिंह को विक्रय कर दिया। मनोहरसिंह ने उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 3 को विक्रय कर देने पर रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 3 ने दिनांक 16.02.2016 को औद्योगिक रूपान्तरण करवाया। ऐसी स्थिति मे दोराने वाद भूमि की किस्म मे कोई परिवर्तन होता है तो उसके आधार पर वादपत्र की पोषणीयता व अपोषणीयता का निर्धारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी के तहत तय किया जाना न्यायोचित नही है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपरिपक्व वादपत्र का राजस्व लोक अदालत के तहत बिना किसी लिखित राजीनामे के गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट वादी का वादपत्र निरस्त किये जाने का निर्णय व डिक्री पारित की है जिसके विरूद्ध अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट वादी विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार प्रकरण संख्या 35/2016 रेवेन्यू वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2017 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पत्रावली मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी का उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निरस्तारण करते हुए पत्रावली का गुणावगुण पर अजसरे नव निर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 23.01.2023 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(नरेसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज0)